

कार्यालय मुख्य महाप्रबन्धक (फार्म), हल्दी

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर
जिला-ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड)

पत्रांक: फार्म/क्र0वि0/२९15

दिनांक 13/3/26

**इन्चार्ज यूनिवर्सिटी वेबसाइट
मेन्टीनेन्स ग्रुप, पन्तनगर**

विश्वविद्यालय फार्म में लगभग 2600.00 कुन्तल धान की सार्वजनिक नीलामी खुली बोली के माध्यम से दिनांक 25.03.2026 को अपरान्ह 3.00 बजे विश्वविद्यालय फार्म (रूद्राक्ष भवन, पन्तनगर) में की जानी है।

उपरोक्तानुसार कृषि जीन्स की सार्वजनिक नीलामी की शर्तों का प्रसारण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।


13/3/26
मुख्य महाप्रबन्धक फार्म

विश्वविद्यालय फार्म के कृषि भण्डारों में उपलब्ध लगभग 2600 कुन्तल धान (व्यवसायिक) को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम विक्रय किये जाने हेतु-

सार्वजनिक नीलामी की शर्तें

1. उक्त कृषि जिन्स के क्रय उपरान्त माल की गुणवत्ता आदि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शिकायत पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. सफल बोलीदाता को सामाग्री उठाने से पूर्व मंडी शुल्क व अन्य वैधानिक कर जो देय होंगे, का भुगतान सम्बन्धित विभाग में जमा कर उसकी रसीद फार्म कार्यालय में जमा करनी होगी तथा विक्रय की गयी सामाग्री की पूर्ण धनराशि एक मुश्त फार्म कार्यालय में जमा करने के उपरान्त ही सामाग्री को उठाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. सफल बोलीदाता द्वारा क्रय किये गये कृषि जिन्सों को 02 सप्ताह के अन्दर उठाना सुनिश्चित किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में रु 1.00 (एक रूपये मात्र) प्रति कुन्तल प्रति दिन की दर से भण्डार कर जमा किया जाना होगा, इसके अतिरिक्त सफल बोलीदाता द्वारा कृषि जिन्सों को बोरो मे भरकर ले जाने हेतु बोरो की व्यवस्था स्वयं किया जाना होगा, एवं विश्वविद्यालय फार्म के बोरो को खाली कर वापस किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
4. यदि सम्बन्धित बोलीदाता द्वारा क्रय किये गये कृषि जिन्सों को 01 माह के भीतर उठाना सुनिश्चित नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी सुरक्षा धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं उसके विरुद्ध क्षतिपूर्ति हेतु विधिक कार्यवाही की जायेगी एवं इसके साथ ही काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी साथ ही निविदा को निरस्त करते हुये पुनः निविदा आमंत्रित की जाने की कार्यवाही की जायेगी।
5. बोलीदाताओं द्वारा धान (व्यवसायिक) हेतु धरोहर धनराशि रु 5,00,000.00 (पांच लाख रूपये) वापसी योग्य का बैंक ड्राफ्ट एवं एफ0डी0आर0 जो विश्वविद्यालय फार्म खाता के नाम भारतीय स्टेट बैंक,पन्तनगर/यूको बैंक, पन्तनगर/नैनीताल बैंक नगला में (विश्वविद्यालय फार्म खाता) देय हो जमा करना आवश्यक होगा। बिना पर्याप्त धरोहर राशि के कोई भी बोलीदाता मान्य नहीं होगी।
6. सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने हेतु धान (व्यवसायिक) की मात्रा अनुमानित अंकित की गयी है जो घट/बढ़ सकती है।
7. किसी भी बोलीदाता को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार कुलपति महोदय को निहित होगा। किसी तरह के विवाद पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार कुलपति जी को होगा। जो दोनों पक्षों को मान्य होगा। इसका न्याय क्षेत्र जिला-ऊधम सिंह नगर में निहित होगा।
8. उपरोक्त कार्य पर किसी भी प्रकार का टैक्स/स्टाम्प ड्यूटी आदि राज्य एवं केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू होगा, उसके भुगतान की पूर्ण उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।
9. सफल बोलीदाता द्वारा भण्डार से माल निकालने तथा यातायात का प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
10. इच्छुक बोलीदाता द्वारा सार्वजनिक नीलामी में प्रतिभाग लेने से पूर्व सामाग्री को सम्बन्धित अधिकारी की अनुमति के उपरान्त किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 9.30 बजे से सांय 5.00 बजे तक निरीक्षण कर सकता है।
11. विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय फार्म में कार्यरत कोई भी अधिकारी/कर्मचारी अथवा उनके परिवार का कोई भी सदस्य सार्वजनिक नीलामी में भाग नहीं ले सकता है।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सभी शर्तें (क्रमशः 01 से 11 तक) पढ़ ली गयी है तथा वह मान्य है।


मुख्य महाप्रबन्धक, फार्म